

**औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2011 से 3/2015**

1 प्रारम्भिक:-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं, जिला बिलासपुर के छात्र निधि लेखों का अवधि 4/2011 से 3/2015 तक का प्रथम अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये हैं श्री चम्बेल सिंह परमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.7.2015 से 28.7.2015 तक संस्थान में किया गया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं द्वारा वर्ष 2011-12 से कक्षाएं आरम्भ की गई थी। अंकेक्षण की विस्तृत जांच हेतु आय पक्ष के लिए माह 7/2011, 11/2012, 7/2013, 2/2015 व व्यय पक्ष के लिए माह 3/2012, 10/2012, 11/2013, 11/2014 का चयन किया गया। अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अपेक्षित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर तैयार किया है। संस्था द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत सूचना प्रस्तुत करने, किसी सूचना के प्रस्तुत न करने अथवा अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहे:-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम/पद	अवधि
1	श्री कुलदीप चडडा प्रधानाचार्य	22.7.2010 से 2.10.2012
2	श्री देश राज धीमान प्रधानाचार्य	3.10.2010 से 11.7.2013
3	श्री कुलदीप चडडा प्रधानाचार्य	12.7.2013 से 27.11.2014
4	श्री अंशुल भारद्वाज प्रधानाचार्य	28.11.2014 से 31.3.2015

2 अंकेक्षण शुल्क:-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं, जिला बिलासपुर के छात्र निधि लेखों का अवधि 4/2011 से 3/2015 तक की लेखा परीक्षा हेतु शुल्क का आंकलन ₹8000/-

किया गया है। लेखा परीक्षा अध्याचना संख्या 222 दिनांक 27.7.2015 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को भेजने हेतु प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थिति:-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं, जिला बिलासपुर के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2011 से 3/2015 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

4 निवेश:-

लेखा परीक्षा अवधि 1.4.2011 से 31.3.2015 तक छात्र निधियों से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी तथा संस्थान की वित्तीय स्थिति के अनुसार निम्न वर्णित राशियां निधियों से सम्बन्धित बचत खातों में जमा थी।

दिनांक	जमा राशि
1.4.12	206940
1.4.13	314644
1.4.14	443599
31.3.15	726029

5 उचित वित्तीय प्रबन्धन न होने पर अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना:-

वित्तीय स्थिति के अनुसार उपरोक्त पैरे में वर्णित राशियां बिना उपयोग के बचत खातों में पड़ी हुई पाई गई, जिनमें से एक समुचित भाग, जिसकी विद्यालय को तुरन्त आवश्यकता नहीं थी, सुगमता से सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था। जिससे निश्चित तौर पर विद्यालय को सावधि जमा में बचत खाते से ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित हो सकती थी। परन्तु विद्यालय द्वारा उचित वित्तीय प्रबन्धन न किए जाने के कारण निधियों से सम्बन्धित राशियां केवल बचत खातों में ही जमा की गई जिसके कारण ब्याज के रूप में उपरोक्त होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा। अतः भविष्य में संस्थान छात्र निधियों में पड़ी अनुपयुक्त अतिरिक्त राशियों जिनकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है में से एक समुचित भाग को सावधि लेखों में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि विद्यालय को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय सुनिश्चित हो सके जिसका उपयोग छात्रों के कल्याणार्थ किया जा सकता है।

6 ₹63790/- वेतन भुगतान की व्यय की गई राशि दिनांक 31.3.2015 को वसूली हेतु शेष:-

कम्प्यूटर निधि से संस्थान के चौकीदार व प्रशिक्षक के वेतन का भुगतान किया जा रहा था तथा समय-समय पर भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही थी दिनांक 31.3.2015 को निम्न विवरणानुसार ₹63790/- की वसूली/प्रतिपूर्ति निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग से की जानी थी। अतः उपरोक्त राशि की शीघ्र तकनीकी शिक्षा विभाग से वसूली करके राशि कम्प्यूटर निधि में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम/पद	भुगतान की तिथि/माह	वेतन मान	भुगतान की गई राशि
1	श्री बलवन्त सिंह चौकीदार	1.2.2015	1/2015	6200
		1.3.2015	2/2015	6200
2	श्री राजेन्द्र सिंह ट्रेनी	6.12.14	11/2014	13320
	इलैक्ट्रीशियन	5.2.15	1/2015	14040
		6.1.15	12/2014	14040
		7.3.15	2/2015	9990
			कुल राशि	63790

7 ₹13520/- के अग्रिम भुगतान के समायोजन वाउचर प्रस्तुत न करना:-

भवन/विकास निधि से दिनांक 26.11.11 ₹13520/- का अग्रिम भुगतान मोहमद याकूब, इन्स्ट्रक्टर को खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रों द्वारा भाग लेने हेतु प्रदान किया गया था। उपरोक्त भुगतान के समायोजन वाउचर लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उपरोक्त अग्रिम भुगतान से सम्बन्धित समायोजन वाउचर आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाये अन्यथा अग्रिम भुगतान की गई राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके राशि सम्बन्धित निधि में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 ₹3600/- की कम वसूली:-

हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षण संस्थानों तथा सैन्टर आफ एक्सीलेंस में प्रवेश हेतु, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी विवरण पुस्तिका के अनुसार बीमा निधि प्रति वर्ष प्राप्त किया जाना अपेक्षित था। वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 9.11.2012 को प्रशिक्षण संस्थान के

36 छात्रों से निधि प्राप्त किये गये थे। इन छात्रों से बीमा निधि ₹100/- प्रति छात्र प्राप्त नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप 36 छात्रों से ₹100 प्रति छात्र की दर से ₹3600/- की कम वसूली की गई थी वर्ष 2012-13 के दौरान इन विद्यार्थियों से बीमा निधि प्राप्त न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त कम वसूल की गई राशि की उचित स्रोत से यथाशीघ्र वसूली करके राशि बीमा निधि में जमा की जाए व अनुपालना से स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 प्रशिक्षुओं का बीमा न करवाना:-

वर्ष 2011-12 के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षुओं से बीमा निधि तो प्राप्त की गई थी किन्तु प्रशिक्षुओं का बीमा नहीं करवाया गया। बीमा निधि प्राप्त करके प्रशिक्षुओं का बीमा न करवाना गम्भीर अनियमितता है। इससे एक तो निधि प्राप्त करने का उद्देश्य ही निष्फल हो गया दूसरे यदि किसी प्रशिक्षु की कोई दुर्घटना हो जाती तो उसे बीमा राशि का लाभ नहीं मिल पाता। अतः निधि राशि प्राप्त करने पर भी प्रशिक्षुओं का बीमा न करवाये जाने के कारणों से अंकक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार नियमित रूप से प्रशिक्षुओं का बीमा करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि निधि प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण सम्भव हो सकने के अतिरिक्त किसी प्रशिक्षु की दुर्घटना होने की अवस्था में उसे मिलने वाले बीमा लाभ से वंचित न हो पाना भी सुनिश्चित हो सके।

10 स्थाई व अस्थायी सामान का अलग-अलग स्टॉक रजिस्टर न रखना:-

अंकक्षण के दौरान पाया गया कि संस्थान में निधियों से खरीदे गये स्थाई व अस्थायी सामान के अलग-अलग स्टॉक रजिस्ट्रों का रख रखाव नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार स्थाई व अस्थायी मदों का पृथक-पृथक स्टॉक रजिस्टर तैयार करना सुविधाजनक है। अतः तुरन्त प्रभाव से सभी निधियों के स्थाई व अस्थायी स्टॉक रजिस्टर अलग अलग तैयार किए जाएं व प्रत्येक मद हेतु अलग अलग पृष्ठ आबंटित करके तदनुसार स्टॉक प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि यह सुगमता से ज्ञात हो सके कि संस्थान के पास अमुक तिथि को अमुक वस्तु की कितनी प्रमात्रा उपलब्ध है/थी।

11 स्टोर व स्टॉक में पड़े शेष सामान का भौतिक सत्यापन करवाना:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं द्वारा अंकक्षण अवधि के दौरान स्टोर व स्टॉक में पड़े सामान का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 (2) के अनुसार यह सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना अपेक्षित

है। अतः अपेक्षित सत्यापन यथाशीघ्र कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस सन्दर्भ में कार्रवाई उपरोक्त नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई।

13 निष्कर्ष:— लेखाओं के सुधार में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0)(2)सी(15) (11)(12) 106/98 खण्ड-2-8097-8099 दिनांक 11.01.2016,
शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

- 1 सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002
- 2 निदेशक, तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं आद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर जिला मण्डी, (हि0प्र0)।

पंजीकृत 3 प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन के जारी होने के एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.